रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2001/अग्रहायण 20, 1923

No. 618] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2001/AGRAHAYANA 20, 1923

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2001

सा. का. नि. 895(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 761(अ), तारीख 29-9-2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 29 सितम्बर, 2000 में ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 4 अक्तूबर, 2000 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (आठवां संशोधन) नियम, 2001 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 55 में, क्रम सं. 29 और इससे संबंधित स्तंभ (1) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

29. (क) फ्लोर कनफेक्शनरी;

(ख) भरी हुई चाकलेट।''

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट ''ख'' में—

(क) मद क 07.03 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

''क 07.03 ''मधु'' से मधुमक्खियों द्वारा फूलों के ऐसे मकरंद या पौधों के ऐसे स्रावों से, उत्पादित प्राकृतिक मीठा पदार्थ अभिप्रेत है, जिसे मधुमक्खियां एकत्रित करती हैं और परिवर्तित करके छत्तों में पकने के लिए भंडारित करती हैं;

चक्षुष निरीक्षण किए जाने पर मधु फफूंद, गर्द, मलकेन, मक्खी के मोम के टुकड़ों, मक्खियों और अन्य कीटों के टुकड़ों जैसे विजातीय पदार्थों और अन्य बाह्य पदार्थों से मुक्त होगा।

मधु का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा हो सकेगा

मधु निम्नलिखित मानकों को पूरा करेगा अर्थात् :—

(क)	27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपेक्षिक धनत्व	भार में 1.35 प्रतिशत से कम नहीं होगा
(ख)	आर्द्रता	भार में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
(ग)	कुल अपचायक चीनी	भार में 65 प्रतिशत से कम नहीं होगा
(ग)(i)	कार्बिया कालोसा और मधु बिंदु के लिए	भार में 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा
(घ)	सुक्रोस	भार में 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
(घ)(i)	कार्बिया कोलासा और मधु बिंदु के लिए	भार में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
(ङ)	फ्रुक्टोज ग्लूकोज अनुपात	भार में 0.95 प्रतिशत से कम नहीं होगा
(च)	भस्म	भार में 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
(छ)	अम्लता (फार्मिक अम्ल के रूप में व्यक्त)	भार में 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा
(ज)	फाई परीक्षण	ऋणात्मक
(झ)	हाईड्राक्सी मैथिल फुरफुराल (एच.एम.एफ.) मि.ग्रा./कि.ग्रा.	80 से अधिक नहीं होगा

यदि फाई परीक्षण धनात्मक है, और हाइड्राक्सी मैथिल फुरफुराल (एच.एम.एफ.) अंतर्वस्तु 80 मि. ग्रा./कि.ग्रा. से अधिक है तो फ्रक्टोस ग्लूकोज अनुपात 1.0 या उससे अधिक होना चाहिए।''

(ख) मद क 10.07 और मद क 10.09 के अंत में क्रमश: निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''आर्जीमोन तेल के लिए परीक्षण ऋणात्मक होगा।'';

(ग) मद क 10.10, क 10.11 और मद क 10.12 के अंत में क्रमश: निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''आर्जीमोन तेल के लिए परीक्षण ऋणात्मक होगा''।

(घ) मद क 12 और क 12.01 के अंत में क्रमश: निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''आर्जीमोन तेल के लिए परीक्षण ऋणात्मक होगा।''

(ङ) मद क 15 में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह कि टेवल नमक में इन नियमों के निमम 62 में यथा उपबंधित अनुज्ञात प्रतिपिंडक हो सकेंगे।''

(च) मद क 15.01 में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह कि आयोडीन नमक में इन नियमों के निमम 62 में यथा उपबंधित अनुज्ञात प्रतिपिंडक हो सकेंगे।''

(छ) मद क 15.02 में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :

''परन्तु यह कि लौह प्रबलित नमक में इन नियमों के नियम 62 में यथा उपबंधित अनुज्ञात प्रतिपिंडक हो सकेंगे और ऐसे मामलों में अधुलनशील कुल पदार्थ शुष्क भार के आधार पर 2.2 प्रतिशत से अनधिक होगा''।

(ज) मद क 17.01, क 17.02, क 17.03, क 17.04, क 17.05, क 17.06, क 17.07, क 17.08, क 17.09, क 17.10, क 17.11, क 17. क 17.13, क 17.14, क 17.15, क 17.15.01, क 17.16, क 17.17, क 17.19, क 17.20, क 17.21, क 17.22, क 17.23, क 17.24, क 17.25 और क 17.26 के अंत में क्रमश: निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''आर्जीमोन तेल के लिए परीक्षण ऋणात्मक होगा।''

(झ) मद क 19 और मद क 19.01 में क्रमशः निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"आर्जीमोन तेल के लिए परीक्षण ऋणात्मक होगा।"।

[सं. पी-15014/6/99-पी.एच. (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र भाग II खंड 2 में सा. का. नि. 2105, तारीख 12-9-1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनका संशोधन सा. का. नि. सं. 670(अ) तारीख 17-9-2001 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2001

G.S.R. 895(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) in the notification of Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number G.S.R. 761 (E) dated the 29.9.2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th September, 2000 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette of India were made available to the public on 4th October, 2000.

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Committee for food standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely,—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration 8th (Amendment) Rules, 2001.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 55, for serial No. 29 and entry relating thereto in column (1), the following shall be substituted, namely :—

   "29 (a) flour confectionery (b) Filled chocolate."

3. In Appendix 'B' to the said rules,—

(a) for item A.07.03, the following item shall be substituted, namely :—

"A.07.03 " "HONEY" means the natural sweet substance produced by honey bees from the nectar of blossoms or from secretions of plants which honey bees collect, transform store in honey combs for ripening.

When visually inspected, the honey shall be free from any foreign matter such as mould, dirt, scum, pieces of beeswax, the fragments of bees and other insects and from any other extraneous matter.

The colour of honey vary from light to dark brown.

Honey shall conform to the following standards, namely :—

(a)	Specific gravity at 27°C	Not less than 1.35 per cent by mass
(b)	Moisture	Not more than 25 per cent by mass
(c)	Total reducing sugar	Not less than 65 per cent by mass
(c)	(i) for Carbia colossa and Honey dew	Not less than 60 per cent by mass
(d)	Sucrose	Not more than 5.0 per cent by mass
(d)	(i) for Carbia colossa and Honey dew	Not more than 10 per cent by mass
(e)	Fructose-glucose ratio	Not less than 0.95 per cent by mass
(f)	Ash	Not more than 0.5 per cent by mass
(g)	Acidity (Expressed as formic acid)	Not more than 0.2 per cent by mass
(h)	Fiehe's test	Negative
(i)	Hydroxy methyl furfural (HMF), mg / kg	Not more than 80

If Fiehe's test is positive, and hydroxy methyl furfural (HMF) content is more than 80 milligram / kilogram then fructose glucose ratio should be 1.0 or more".

(b) in item A. 10.07, and A. 10.09, the following shall be inserted at the end respectively, namely :—

"Test for argemone oil shall be negative.";

(c) in items A. 10.10, A. 10.11 and A. 10.12, the following shall be inserted at the end respectively, namely :—

"Test for argemone oil shall be negative.";

(d) in item A. 12 and A. 12.01, the following shall be inserted at the end respectively, namely :—

"Test for argemone oil shall be negative.";

(e) in item A. 15, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that table salt may contain permitted anticaking agents as provided in rule 62 of these rules";

(f) in item A.15.01, for the first proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that iodised salt may contain permitted anticaking agents as provided in rule 62 of these rules";

(g) in item A.15.02, for the first proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that Iron fortified salt may contain permitted anticaking agents as provided in rule 62 of these rules and in such a case the total matter insoluble in water shall not exceed 2.2 per cent on dry weight basis".

(h) in items A.17.01, A.17.02, A.17.03, A.17.04, A.17.05, A.17.06, A.17.07, A.17.08, A.17.09, A.17.10, A.17.11, A.17.12, A.17.13, A.17.14, A.17.15, A.17.15.01, A.17.16, A.17.17, A.17.19, A.17.20, A.17.21, A.17.22, A.17.23, A.17.24, A.17.25 and A.17.26, the following shall be inserted at the end respectively, namely :—

"Test for argemone oil shall be negative.";

(i) in items A.19 and A.19.01, the following shall be inserted at the end respectively, namely :—

"Test for argemone oil shall be negative.";

[No. P-15014/6/99–PH(Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note:— The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 daled 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 670(E), dated 17-9-01.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.